बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 03/भू0अ0नि0(3)विविध–12/2023 2364 पटना, दिनांकः– 03/06/2024

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, प0चम्पारण(बेतिया) के पत्रांक 47 दिनांक 25.01.2024 द्वारा श्री अनंत कुमार, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (ASO00199) के विरूद्ध प्रतिवेदन दिया गया है कि निदेशालय आदेश संख्या 8399 दिनांक 05.10.2023 द्वारा इनका स्थानान्तरण बंदोबस्त कार्यालय, लखीसराय किया गया था, जिसके आलोक में बंदोबस्त कार्यालय के पत्रांक 704 दिनांक 06.10.2023 द्वारा इन्हें विरमित कर दिया गया, परन्तु इनके द्वारा स्थानान्तरित कार्यालय में योगदान नहीं किया गया। साथ ही पुनः निदेशालय पत्रांक 8803 दिनांक 06.11.2023 के फलस्वरूप बंदोबस्त कार्यालय, प0चम्पारण(बेतिया) में दिनांक 07.11.2023 को योगदान किया गया है। दिनांक 07.10.2023 से 06.11.2023 तक की अवधि के अवकाश स्वीकृति पर निर्णय लेने हेतु अनुरोध किया गया है।

स्थानान्तरित कार्यालय में योगदान नहीं करने एवं दिनांक 07.10.2023 से 06.11.2023 तक की अवधि के संबंध में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 1938 दिनांक 25.04.2024 द्वारा श्री कुमार से 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। श्री कुमार द्वारा अपने प्रतिउत्तर में पिता जी के ईलाज कराने के कारण स्थानान्तरित कार्यालय में योगदान नहीं करने का उल्लेख किया गया है। साथ ही यह भी अंकित किया गया है कि इसकी मौखिक एवं लिखित सूचना बंदोबस्त पदाधिकारी को दी गयी है।

प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत पाता हूँ कि श्री कुमार द्वारा स्पष्टीकरण में पिता के ईलाज हेतु दिनांक 06.10.2023 को बंदोबस्त पदाधिकारी को लिखित सूचना देने का उल्लेख किया गया है, परन्तु दी गयी सूचना से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि बंदोबस्त कार्यालय द्वारा दिनांक 06.10.2023 को ही श्री कुमार को बंदोबस्त कार्यालय, लखीसराय में योगदान हेतु विरमित कर दिया गया था। बंदोबस्त कार्यालय, बेतिया द्वारा जब इन्हें विरमित कर दिया गया था, तो इन्हें स्थानान्तरित कार्यालय में योगदान देकर अवकाश हेतु सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए था, जो इनके द्वारा नहीं किया गया है। चूंकि अवकाश संबंधी प्रावधान के अनुसार अवकाश का अधिकारपूर्वक दावा नहीं किया जा सकता है एवं अवकाश में जाने से पूर्व सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है। स्पष्ट है कि इनके द्वारा वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना की गयी है, जो इनके मनमानेपन एवं अनुशासनहीनता का परिचायक है। इनके स्पष्टीकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए तत्काल इनके विरूद्ध संविदा समाप्ति संबंधी कठोर कार्रवाई न करते हुए दिनांक 07.10.2023 से 06.11.2023 तक कार्य नहीं तो मानदेय नहीं के आधार पर स्पष्टीकरण से मुक्त किया जाता है।

साथ ही चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में इस तरह की गलती की पुनरावृति करने पर इनका संविदा समाप्त कर दिया जाएगा।

3/6/24

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0(3)विविध–12/2023 2364 **पटना, दिनांक** :–03/06/2024

प्रतिलिपि :– श्री अनंत कुमार, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (ASO00199), बंदोबस्त कार्यालय, प0चम्पारण(बेतिया) को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03 / भू0अ0नि0(3)विविध–12 / 2023 2364 **पटना, दिनांक** :– 03/06/2024

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, प0चम्पारण(बेतिया) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रविष्टि इनके डिजिटल सेवा पुस्त में कर दी जाय।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03 / भू0अ0नि0(3)विविध–12 / 2023 2364 **पटना, दिनांक** :– 03/06/2024

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट प अपलोड करने तथा इसकी स्कैन कॉपी R2R अन्तर्गत इनकी व्यक्तिगत संचिका में भी अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप